बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन०एस०बी०-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो०-सदाकत आश्रम, पटना-800 010
दूरभाष संख्या : 06122-2261250/2262265/2261709
ई मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट- http://bspcb.bihar.gov.in

का0आ0 सं0:- 95 पटना, दिनांक:- 22-06-22

:- कार्यालय-आदेश:-

पर्षद् अधिसूचना सं0-40, दिनांक 11.12.2018 को संशोधित करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित पर्षद् के कार्यों के सफल क्रियान्वयन एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को पूर्व से आवंटित क्षेत्रों यथा:

(क) श्री मनोरंजन कुमार सिंह, वैज्ञानिक जिला- पटना, भोजपुर, बक्सर, नालन्दा, रोहतास, भभुआ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल।

(ख) डा0 गोपी कान्त मंडल, वैज्ञानिक जिला- अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णियां, अररिया एवं किशनगंज।

के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है।

(1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा केन्द्रों (Health Care Facilities) से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए सदस्य सचिव के अनुमोदनोपरांत उपरोक्त वर्णित वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(2) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 5 करोड़ से कम लागत वाली Health Care Facilities से प्राप्त स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति आवेदनों की स्वीकृति हेतु उपरोक्त वर्णित वैज्ञानिकों द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ सदस्य सचिव को उपस्थापित किया जायेगा एवं सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के उपरांत उपरोक्त वर्णित वैज्ञानिकों द्वारा निर्गत किये जाने हेतु अपने अपने क्षेत्र के लिए उपरोक्त वैज्ञानिकों को प्राधिकृत किया जाता है। रुपये 5 करोड़ से अधिक लागत वाली इकाईयों के स्थापनार्थ एवं सचांलनार्थ सहमति आवेदनों की स्वीकृति पूर्व की भांति अध्यक्ष द्वारा दी जायेगी एवं सहमति आदेश सदस्य सचिव द्वारा निर्गत किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इस आदेश पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

22/6/22

(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव